

अनुबंध - 1

आरबीआई के एनडीएस-ओएम इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में सदस्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप।
महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम के अनुसार निष्पादन से पहले स्टाम्प ड्यूटी के साथ फ्रैंक किया जाए।
(लागू राज्य स्टाम्प कानून के अनुसार मुहर लगाई जाए)

मुख्य महाप्रबंधक,
वित्तीय बाजार विनियमन विभाग,
9वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन,
भारतीय रिज़र्व बैंक,
शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट,
मुंबई - 400 001

महोदया/प्रिय महोदय,

नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम-ऑर्डर मैचिंग (एनडीएस-ओएम) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में सदस्यता के लिए
अनुरोध

हम एतद्वारा ऑर्डर मैचिंग और रिपोर्ट किए गए सेगमेंट, दोनों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की नेगोशिएटेड डीलिंग
सिस्टम-ऑर्डर मैचिंग (एनडीएस-ओएम) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में सदस्यता चाहते हैं।

2. अपेक्षित विवरण, जैसा कि अपेक्षित है, निम्नानुसार हैं:

ए. आवेदक का नाम				
बी. आरबीआई सीबीएस (ई-कुबेर) सदस्य आईडी				
सी. सीसीआईएल सदस्य आईडी				
डी. मुद्रा बाजार/निश्चित आय परिचालनों में प्रमुख पदाधिकारियों का संपर्क विवरण				
	ट्रेजरी प्रमुख	डीलिंग प्रमुख / मुख्य डीलर	ट्रेजरी ऑपरेशंस/ बैंक ऑफिस के प्रमुख	मिड ऑफिस/जोखिम प्रबंधन के प्रमुख
नाम				
पदनाम				
डाक पता				
टेलीफोन नंबर				
मोबाइल नंबर				
टेलीफैक्स नंबर				
ई-मेल आईडी				
ई. प्रमुख आईटी पदाधिकारियों का संपर्क विवरण				

	आईटी प्रमुख / सिस्टम-इन-चार्ज	आईटी विभाग में एनडीएस परियोजना प्रभारी	
नाम			
पदनाम			
डाक पता			
टेलीफोन नंबर			
मोबाइल नंबर			
टेलीफैक्स नंबर			
ई-मेल आईडी			
एफ़. क्या INFINET कनेक्शन लिया गया है (हाँ/नहीं) ?			
जी. खाता विवरण			
चालू खाता विवरण		एसजीएल खाता विवरण	
बैंक का नाम (आरबीआई/नामित निपटान बैंक)	खाता सं.	स्वामित्व एसजीएल खाता सं.	घटक एसजीएल खाता सं.

3. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस आवेदन प्रपत्र के अनुमोदन के बाद प्रयोक्ता अनुरोध टेम्पलेट भेजा जाएगा।

4. हम एतद्वारा वचन देते हैं कि हम अपने व्यावसायिक परिसर में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदत्त विनिर्देशों के अनुसार अपेक्षित आईटी और संचार अवसंरचना अपनी लागत पर स्थापित करेंगे ताकि एनडीएस-ओएम की कनेक्टिविटी और सुचारू संचालन को सुगम बनाया जा सके।

5. हम वचन देते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना एनडीएस-ओएम एप्लीकेशन के सॉफ्टवेयर / हार्डवेयर के किसी भी भाग को अन्यत्र स्थानांतरित/शिफ्ट/अंतरण/प्रतिलिपि/डुप्लिकेट नहीं करेंगे। हम अपनी लागत पर उपरोक्त उपकरणों को संशोधित, उन्नत या बदलने का वचन देते हैं, जब भी ऐसा करने की सूचना दी जाती है। हम यह भी वचन देते हैं कि हम आरबीआई की पूर्व लिखित सहमति के बिना साफ्टवेयर/हार्डवेयर में कोई संशोधन, उन्नयन या प्रतिस्थापन नहीं करेंगे;

6. हम एतद्वारा पुष्टि करते हैं कि -

(ए) हम सीसीआईएल के सक्रिय सदस्य हैं;

(बी) हम जानते हैं कि एनडीएस-ओएम में हमारी सदस्यता हमारी आरबीआई सीबीएस (ई-कुबेर) सदस्यता के साथ को-टर्मिनस होगी;

(सी) सभी विनियामकीय आवश्यकताओं का विधिवत अनुपालन किया जा रहा है और गैर-अनुपालन के लिए विनियामकों से कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई है;

(डी) पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणाली मौजूद है;

(ई) हम पर किसी भी वैधानिक/नियामक प्राधिकरण द्वारा अयोग्यता के आदेश या इसी तरह के प्रभाव के आदेश नहीं लगाए गए हैं और न ही हमें सरकारी प्रतिभूतियों (ट्रेजरी बिल सहित) में किसी भी लेनदेन से जुड़े किसी भी आपराधिक अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है;

(एफ़) एनडीएस-ओएम में सदस्यता के लिए यह अनुरोध करने से पहले हमारे आंतरिक नियमों और विनियमों के अनुसार निर्धारित आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किया गया है;

(जी) हमने एनडीएस-ओएम से संबंधित "मार्गदर्शक सिद्धांतों" को पढ़ा और समझा है। हम एनडीएस-ओएम के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित सभी नियमों, विनियमों, सिद्धांतों, नियमों और शर्तों का पालन करेंगे और समय-समय पर यथासंशोधित और लागू ऐसे सभी नियम, विनियम, सिद्धांत, नियम और शर्तें हम पर बाध्यकारी होंगी;

(एच) हम एनडीएस-ओएम सदस्य संख्या और एनडीएस-ओएम तक पहुंच प्रदान करते समय हमें आवंटित संबंधित एनडीएस-ओएम उपयोगकर्ता संख्या को आरबीआई को हमारे सभी पत्राचार में शामिल करेंगे;

(आई) भारतीय रिज़र्व बैंक और/या इसका कोई भी पदाधिकारी किसी भी तरह से हमारे एनडीएस-ओएम सदस्य संख्या और/या एनडीएस-ओएम उपयोगकर्ता संख्या के अनधिकृत और/या गलत उपयोग के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति या परिणाम के लिए उत्तरदायी नहीं होगा;

(जे) एनडीएस-ओएम, इसकी सुविधाओं, सॉफ्टवेयर और/या आरबीआई द्वारा प्रदान की गई जानकारी के संबंध में हमें या हमारे किसी भी पदाधिकारी को कोई अधिकार, स्वामित्व या हित नहीं होगा;

(के) हम जानते हैं कि हम अपनी ओर से और साथ ही अपने घटकों की ओर से एनडीएस-ओएम पर ट्रेडों (जैसा लागू हो) के ऑर्डर/रिपोर्ट कर सकते हैं और एनडीएस-ओएम में दर्ज किए गए ऑर्डर के लिए हम अपनी ओर से या अपने घटकों की ओर से एनडीएस-ओएम पर निष्पादित सभी ट्रेडों के लिए उत्तरदायी होंगे;

(एल) जहां तक संघटक ऑर्डर/ट्रेड का संबंध है, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) दिशानिर्देशों के अंतर्गत यथाअपेक्षित अनुपालनों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है;

(एम) हमारे संगठन में स्पष्ट और व्यापक पहुँच नियंत्रण नीतियां, प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं और इन्हें पूरी तरह से लागू किया गया है और इसके सख्त अनुपालन के लिए इसकी लगातार निगरानी की जा रही है;

(एन) हम अपने किसी भी पदाधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) /संस्था/संस्थाओं को निम्नलिखित की अनुमति नहीं देंगे -

I. आरबीआई द्वारा अनुमोदित और निर्दिष्ट के अलावा किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए आरबीआई द्वारा प्रदान किए गए सॉफ्टवेयर का उपयोग करना;

II. आरबीआई द्वारा अनुमोदित वर्कस्टेशन के अलावा किसी अन्य उपकरण पर आरबीआई द्वारा प्रदान किए गए सॉफ्टवेयर का उपयोग करना

III. आरबीआई द्वारा प्रदत्त सॉफ्टवेयर की प्रतिलिपि बनाना, उसमें परिवर्तन करना, संशोधित करना या किसी अन्य संस्था/व्यक्ति को उपलब्ध कराना

IV. आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट तरीके के अलावा किसी भी अन्य तरीके से सॉफ्टवेयर का उपयोग करना

V. अनधिकृत स्थान से वर्कस्टेशन स्थापित या संचालित करना

(ओ) कि ऐसे सॉफ्टवेयर के बौद्धिक संपदा अधिकार भारतीय रिज़र्व बैंक के पास होंगे और इसके किसी भी अनधिकृत उपयोग को उल्लंघन के रूप में माना जाएगा और तदनुसार निपटा जाएगा।

(पी) हम सहमत हैं कि बैंक के पास सदस्यों के कोट्स/ट्रेडों से संबंधित ऐसी जानकारी को सरकार, अन्य एजेंसियां और प्रेस और मीडिया से साझा करने/प्रकट करने या प्रसारित करने का पूर्ण विवेकाधिकार होगा जो बैंक द्वारा आवश्यक समझे जाने पर बैंक के लोक ऋण कार्यालय (पीडीओ) में या सीधे बैंक के लोक ऋण कार्यालय (पीडीओ) में या क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से बैंक द्वारा लेनदेन या रिपोर्ट की गई सरकारी प्रतिभूतियों या अन्य सभी लिखतों से संबंधित है।

(क्यू) सदस्य के कार्यालय परिसर में स्थापित कंप्यूटर सिस्टम, दूरसंचार नेटवर्क और अन्य उपकरणों की किसी भी विफलता के लिए बैंक को जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। बैंक को सदस्य के एनडीएस-ओएम एप्लीकेशन

सॉफ्टवेयर चलाने वाले सभी कंप्यूटर सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूरसंचार उपकरणों का निरीक्षण और पर्यवेक्षण करने का अधिकार होगा।

(आर) बैंक एनडीएस-ओएम के सदस्य के रूप में सदस्य की निरंतरता की समीक्षा करने के लिए अधिकृत है, यदि बैंक की राय में किसी ऐसी घटना हुई है या ऐसी घटना की संभावना है जहां सदस्य ने बैंक के हितों को प्रत्यक्ष या किसी अन्य तरीके से प्रभावित किया है या प्रभावित कर सकता है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम और सदस्य पर बाध्यकारी होगा।

(एस) हम सहमत हैं कि यदि हम किसी भी समामेलन, विलगाव (डिमर्जर) या किसी उपक्रम के अधिग्रहण सहित किसी कॉर्पोरेट पुनर्गठन से गुजरते हैं, तो हमारी सदस्यता विनियमों के अनुसार निलंबित/समाप्त की जा सकती है।

(टी) सदस्य के प्रबंधन में किसी भी कॉर्पोरेट परिवर्तन की स्थिति में, बैंक को ऐसी जानकारी, डेटा और दस्तावेजों की मांग करने का अधिकार होगा जो आवश्यक समझा जा सकता है और सदस्य इन्हें बैंक को प्रदान करेगा और इस संबंध में सभी आवश्यक सहयोग भी करेगा।

(यू) हम, एनडीएस-ओएम के माध्यम से अन्य सदस्यों के साथ किए गए सभी लेनदेन के संबंध में खुद को उत्तरदायी मानने और वर्तमान में आईडीआरबीटी द्वारा प्रदान किए गए डिजिटल हस्ताक्षर या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत नियुक्त प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा प्रदान किए गए डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करने के लिए सहमत हैं।

(वी) हम बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से सहमत हैं कि आरबीआई सीबीएस (ई-कुबेर) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक एसजीएल हस्तांतरण फॉर्म द्वारा हमारे द्वारा किया गया कोई भी लेनदेन सदस्य पर बाध्यकारी होगा। सदस्य बाद में किसी भी कारण से लेनदेन को अस्वीकार नहीं करेगा और बैंक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मों पर कार्रवाई कर सकता है और बिना किसी जोखिम और जिम्मेदारी के लेनदेन कर सकता है।

(डबल्यू) हम सहमत हैं कि यह निपटान के लिए एनडीएस-ओएम के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिपोर्टेड ट्रेडों पर कार्रवाई करने के परिणामस्वरूप रिज़र्व बैंक को हुई किसी भी संभावित हानि/क्षति के लिए क्षतिपूर्ति करेंगे।

(एक्स) बैंक को उपलब्ध अन्य अधिकारों और उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, हम एतद्वारा क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत हैं और सदस्य द्वारा एनडीएस-ओएम के माध्यम से सुविधाओं का लाभ उठाते समय बैंक को हुई किसी भी हानि/क्षति और सदस्य या किसी कर्मचारी, एजेंट, सेवक या सदस्य के प्रतिनिधि की ओर से किसी भी चूक, कदाचार या लापरवाही के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान, क्षति, लागत, व्यय के खिलाफ बैंक को क्षतिपूर्ति करते रहेंगे।

(वाई) हम सहमत हैं कि विभिन्न गतिविधियों के लिए एनडीएस-ओएम सुविधाओं का उपयोग करने के लिए देयताएं, जैसे बोलियां, नीलामियों में इसे प्रस्तुत करना और उसके परिणाम, कोट्स देना, प्रतिभूतियों और मुद्रा बाजार लिखतों में लेन-देन, सौदा टिकट बनाना और डीलरों और सेटलर्स द्वारा अनुमोदन अर्थात् इलेक्ट्रॉनिक बुक एंट्री फॉर्म में बैंक द्वारा निपटाए गए लेनदेन में प्रवेश करना पूरी तरह से हम पर निर्भर करेगा। हम यह स्वीकार करते हैं कि हम इस वचन पर हस्ताक्षर करने के परिणामों से अच्छी तरह अवगत हैं और एनडीएस-ओएम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करने की शर्तों को पूरी तरह से समझते हैं।

(ज़ेड) हमारे और बैंक/किसी अन्य सदस्य के बीच इस वचन की व्याख्या, अर्थ या प्रभाव के बारे में या सदस्य/बैंक के अधिकारों और दायित्वों के बारे में या किसी अन्य मामले के रूप में कोई मतभेद/विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में, इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

7. हम यह भी वचन देते हैं कि हम ऐसे सभी विलेखों, वचनों, क्षतिपूर्ति और/या बॉण्डों को निष्पादित, हस्ताक्षरित और अभिदत्त करेंगे और भारतीय रिज़र्व बैंक को वे सभी जानकारी/दस्तावेज प्रदान करेंगे जिनकी समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मांग और आवश्यकता हो सकती है।
8. हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और जानकारी के अनुसार सत्य, सही और पूर्ण है। यदि उपर्युक्त में से कोई भी कथन झूठा, गलत, गलत प्रस्तुतीकरण पाया जाता है या यदि किसी वचन या निर्धारित शर्त का उल्लंघन होता है, तो भारतीय रिज़र्व बैंक ऐसी कार्रवाई कर सकता है जो वह उचित समझे, जिसमें हमारी एनडीएस-ओएम सदस्यता को समाप्त करना भी शामिल है।
9. हम एतद्वारा यह भी वचन देते हैं कि उपर्युक्त तथ्यों में किसी भी परिवर्तन के बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक को उसके घटित होने/हमारी जानकारी में आने के 15 दिनों के भीतर, जो भी पहले हो, सूचित करेंगे।
10. हम एतद्वारा पुष्टि करते हैं कि एनडीएस-ओएम सदस्यता (पृष्ठ 1 पर दर्शाए गए व्यवसाय खंड की) की मांग करने वाला यह आवेदन पत्र, इस उद्देश्य के लिए हमारे द्वारा प्राप्त अपेक्षित आंतरिक अनुमोदन के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है और उस पर ट्रेजरी प्रमुख / हमारे संगठन के एक वरिष्ठ पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं जो इस तरह का अनुरोध करने के लिए विधिवत प्राधिकृत हैं।

स्थान:

दिनांक:

हस्ताक्षर:

नाम:

पदनाम: